[illegible]-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प खूंटला सलोना पर पेश हुई। वादी नहन्या उपस्थित है। प्रतिवादी देवचंद के पुत्र भरतलाल व शिवलाल उपस्थित है। इन्होने प्रा०पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी नहन्या का दावा ख०नं० $\frac{27}{0.52}$ ग्राम बाढखूंटला के विभाजन का है। सिविल न्यायालय के आदेश से नहन्या के ½ हिस्से की भूमि हमारे नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार अब ख०नं० $\frac{27}{0.52}$ से वादी नहन्या का कोई वास्ता नही है। अतः उपरोक्त प्रकरण को आज ही निरस्त कर दिया जावे। प्रा०पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं० 2072 से 2075 पेश की है।

भरतलाल

नि० शिवलाल

प्रस्तुत प्रा०पत्र, नकल जमाबंदी व वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादी नहन्या ने ख०नं० $\frac{27}{0.52}$ ग्राम बाढखूंटला के विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया था। दावा दायरी के समय वादी नहन्या का इस खसरा नम्बर में ½ हिस्सा दर्ज था। देवचंद के नाम ½ हिस्सा दर्ज था। सिविल न्यायालय के आदेशानुसार नहन्या के हिस्से की ½ भाग की भूमि नामान्तरकरण सं० 261 दि० 20-11-17 से भरतलाल, शिवलाल, रामसहाय पिता देवचंद के नाम दर्ज होकर जमाबंदी मे इसका इन्द्राज हो चुका है। इस प्रकार अब वादी नहन्या के नाम कोई भूमि दर्ज नही रहने के कारण वादी नहन्या का यह दावा इनफेक्चुअस हो गया है एवं चलने योग्य नही है। अतः वादी का यह दावा इनफेक्चुअस होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खूटला सलौना

पीठासीन अधिकारी-: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

नहन्या पुत्र भोडया, चमार निवासी ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. देवचंद पुत्र गंगाधर चमार निवासी ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी
2. सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 105/2005

वादी की ओर से वादी नहन्या की व प्रतिवादी की ओर से भरतलाल व शिवलाल पुत्रान देवचंद की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 18.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पाया गया कि वादी का दावा इन्फेक्चुयस हो चुका है। अतः वादी का वाद इन्फेक्चुयस होने के कारण खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 18.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प ______रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

पेश
आदेश

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

श्रीमान कैम्प प्रभारी महोदय
कैम्प - खूंटला-सलोना

विषय :- मुकदमा उत्तराधिकारी नामान्तरण देवचन्द्र राम मु.नं. 105/2005 को निरस्त करने के बाबत में।

श्रीमानजी,

उपरोक्त उत्तराधिकारी प्रकरण नामान्तरण को भी मुझ द्वारा जमीन ख.नं. 27 रकबा 0.52 हैक्ट ग्राम-बागरखूंटला के बाबत दर्ज करवाया। उक्त जमीन बाबत सिविल न्यायालय के आदेश से नारायण को दिलवाई की रजिस्ट्री हम प्रार्थीगण के नाम दि० 4/2 को हो चुकी है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी जमीन का नामान्तरण हो चुका है वो हमारे नाम दर्ज हो चुकी है इस प्रकार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित जमीन ख.नं. 27 रकबा 0.52 हैक्ट से नारायण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है इसलिए इस प्रकरण का अब कोई औचित्य नहीं है देवचन्द्र द्वारा मिलाई का लाभ हो चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त उत्तराधिकारी प्रकरण को आप ही निरस्त कर दिया जावे।

दिनांक:- 18/5/17

प्रार्थी
भरतलाल (1) भरतलाल
(2) शिवलाल
(3) रामसहाय
पुत्रान देवचन्द्र
जाति - माली (सैनी)
नि० खूंटला तह० गंगापुर

सरपंच
ग्राम पंचायत खूंटला सलौना
पं० स० गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक वाचक/2017/61

दिनांकः– 18-5-2017

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

विषयः मुकदमा नम्बर 105/2005, दावा

उनवान नहन्या बनाम देवचंद वगैरा, तारीख निर्णय 18.5.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे डिक्री दिनांक 18.5.17 की प्रति भिजवायी जा रही है। डिक्री के अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट मे इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः डिक्री की सत्यप्रति।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

18/5/17